[illegible] राजस्व [illegible] मध्य प्रदेश ग्वालियर

[illegible]

[illegible] आदेश दिनांक [illegible] 20[illegible]

पारित [illegible] जिला [illegible] प्रकरण क्रमांक 36 / 2012-13 पुनर्विलोकन

1- [illegible] पुत्र [illegible] प्रजापति
निवासी [illegible]

2- इलयास पुत्र अब्दुल [illegible]
निवासी [illegible] आवेदकगण

विरुद्ध

1- [illegible] पुत्र [illegible] सौर
ग्राम [illegible] तहसील [illegible]
जिला टीकमगढ़ म.प्र.
[illegible] अनावेदक

[illegible]

[illegible]

[illegible] आवेदक

आदेश

[illegible] 2014 को पारित

[illegible] टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 36 / 2012-13 पुनर्विलोकन [illegible] 03.01.2013 के विरुद्ध म0प्र0 राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का [illegible] कि आवेदक ने कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन [illegible] ग्राम [illegible] तहसील ओरछा [illegible] भूमि सर्वे क्रमांक 84 [illegible] रकबा [illegible] है [illegible] जिसे आवग्रस्त भूमि [illegible] किया गया [illegible] है [illegible] उबड़ खाबड़ है जिस [illegible] करने [illegible] है [illegible] भूमि का विक्रय करके अन्यत्र [illegible] भूमि [illegible] की जाये। कलेक्टर [illegible]

ने प्र.क. 24 अ 21 2010-11 पारित किया तथा आदेश दिनांक 16.8.11 [illegible] वादग्रस्त भूमि प्रचलित [illegible] विक्रय करने की अनुमति प्रदान की। विक्रय अनुमति [illegible] दिनांक 10.8.[illegible] को वादग्रस्त भूमि आवेदकगण [illegible] हित में विक्रय [illegible]

भूमि विक्रय होने के उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्र.क. 36/पुनर्विलोकन 2012-13 [illegible] एवं [illegible] से विक्रय अनुमति [illegible] प्रकरण [illegible] प्रकरण [illegible] 1133/तीन 2011 [illegible] आदेश दिनांक [illegible]2 [illegible] से अनुमति प्राप्त हुई तदुपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 2[illegible]5 [illegible] अनावेदक क्रमांक [illegible] को [illegible] जारी किये [illegible] कलेक्टर टीकमगढ़ [illegible] प्रकरण क्रमांक [illegible] 2013 पारित [illegible] तथा पूर्वाधिकारी के प्रकरण क्रमांक 24 अ 21 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16.8.2011 को निरस्त करते हुये विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया एवं वादग्रस्त भूमि पूर्ववत [illegible] आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित [illegible]

[illegible] पक्षकारों के अभिभाषकों [illegible] एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर मनन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन [illegible] है कि वादग्रस्त भूमि [illegible] भूमिस्वामी [illegible] का है किन्तु यह [illegible] है कि उन्होंने कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन दिया है जिसमें उल्लेख किया है कि उत्रबढ़–खाबढ़ एवं अकृषि योग्य भूमि है जिस पर खेती नहीं हो पाती है जिसके कारण भूमि विक्रय करने के बाद अन्य जगह [illegible] अनावेदक क्रमांक 1 [illegible]

[illegible]

अपील क्रमांक [illegible] 2013

[illegible] कराई [illegible] तहसीलदार [illegible]

[illegible]

[illegible] अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के [illegible]
13-6-[illegible] को प्रतिवेदन दिया है [illegible] अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी के [illegible] पद 4 का अंश [illegible] इस
कलेक्टर को भेजा गया है तहसीलदार के प्रतिवेदन के पद 4 का अंश [illegible]
प्रकार है [illegible]

[illegible] 84 [illegible] रकबा में से [illegible] 58 [illegible]
[illegible] आवेदक [illegible] नहीं है कम [illegible]
की भूमि [illegible] दूसरा [illegible] खेती [illegible]
है पानी का कोई साधन [illegible]
व्दारा निर्धारित [illegible] पर ही [illegible]

तहसीलदार के प्रतिवेदन [illegible] प्रकार है [illegible]
[illegible] की भूमि खसरा [illegible] 84
[illegible]

अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी [illegible] तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन से सहमत [illegible] अनुविभागीय अधिकारी [illegible] की अनुसंशा की है। तहसीलदार [illegible] विक्रय की अनुमति [illegible] की अनुसंशा के [illegible] पारित किया है। [illegible] कलेक्टर [illegible] विक्रय की अनुमति प्रदान की है विचारणीय [illegible] क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की है [illegible] क्रमांक [illegible] को वादग्रस्त भूमि विक्रय की अनुमति यह है कि जब एक बार अनावेदक क्रमांक [illegible] को वादग्रस्त भूमि विक्रय हो चुकी है उसके [illegible] प्राप्त कर [illegible] गई [illegible] आदेश [illegible] भूमि विक्रय हो चुकी है [illegible] निर्मित हुई जिनके [illegible] [illegible] अनिवार्य हुआ [illegible] कलेक्टर टीकमगढ़ [illegible] के [illegible] का आधार [illegible]

[illegible] आदेश दिनांक [illegible] 6.[illegible] के [illegible] का आधार [illegible]
[illegible] विक्रय की अनुमति [illegible] समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि [illegible] हस्तांतरित की जा रही है सदभावना [illegible] भूमि [illegible] की भूमि [illegible] की [illegible] हस्तांतरित कराई जा सकती [illegible]

कलेक्टर टीकमगढ़ [illegible] आदेश दिनांक 24.[illegible].2011 के [illegible]

[illegible signature]

प्रकार है –

भूमि ... रतन ... निवासी ... की खसरा क्रमांक 84 ... रकबा 2.184 ... एवं ... रकबा 2.197 है। भूमि ... हिस्सा ... रकबा ... है। भूमि की निर्धारित गाईड ... प्रदान की जाती है।

... है कि कलेक्टर ... विक्रय दिनांक को प्रचलित गाईड लाइन ... के मान से ... आदेश दिया है और ... प्रतीग्रहक द्वारा भी विक्रय ... विक्रय दिनांक को प्रचलित गाईड लाइन के मान से संपादित किया ... आधार ... होकर ... परिलक्षित है।

5/ ... कलेक्टर टीकमगढ़ ... आदेश दिनांक 24.3.11 के ... वादग्रस्त भूमि अनावेदक क्रमांक ... के पंजीकृत विक्रय पत्र से आवेदक को विक्रय कर दी है जबकि कलेक्टर टीकमगढ़ ने ... आदेश दिनांक 16.8.11 ... आदेश दिनांक ... निराकरण किया है ... दिनांक ... पूर्वोक्त ... 6 ...

... राजस्व संहिता ... धारा 165 ... ऐसा प्रावधान नहीं ... कि विक्रय अनुमति प्रदान ... तत्पश्चात् आदेश पारित कर पूर्वानुमति ... शून्य घोषित किया जा ...

... करने की त्रुटि ... है।

7/ ... आवेदक ... कि सद्भावनापूर्वक ... देकर अनावेदक क्रमांक ... ने आदेश दिनांक 15.6.11 से वादग्रस्त भूमि ... विक्रय ... अनुमति प्राप्त की, तदुपरान्त भूमि विक्रय की है एवं क्रय-विक्रय सद्भावना ... आधारित ... विक्रय ... तहसीलदार ने क्रेता का नामान्तरण ... अवलोकन से ... कर विक्रय अनुमति ...

... अधिकारी निवाड़ी ने भी ... अनुमति ...

... निर्धारित गाईड ...

[illegible] विकय की अनुमति दी है। विकय अनुमति [illegible] पश्चात निष्पादित विकय [illegible] समय प्रतिफल की कमी आदि की कोइ शिकायत विकेता भूमिस्वामी ने उप पंजीयक के समक्ष नहीं की है एवं किसी [illegible] भी इस बात की शिकायत, केता [illegible] नामान्तरण होने [illegible] नहीं [illegible] लायन के मार्फ से विकय प्रतिफल नहीं दिया गया। [illegible] विकय अनुमति प्राप्त करते समय एवं भूमि विकय करते समय विकेता एव केता के मन में सद्‌यान्ति न होने से कय – विकय सदभावित है। [illegible] केता आवेदकगण का नामान्तरण तहसीलदार [illegible] है [illegible] अनुमति आदेश दिनाक 15.6.11 [illegible] नाशिक दृष्टात राजस्व मडल हस्तक्षेप [illegible] [illegible] आदेश दिनाक 21-5-[illegible] एवं व्दारा प्रकरण क्रमांक 557 [illegible] 2[illegible] में पारित आदेश दिनाक 16-7-[illegible] है, अन्य प्रकरण क्रमांक 538 [illegible] 2013 में पारित आदेश दिनाक 16-7-[illegible] [illegible] टीकमगढ व्दारा प्रकरण क्रमांक जिसके [illegible] आदेश दिनाक 03-01-2013 दोषपूर्ण होने 36 / पुनर्विलोकन / 20[illegible] से निरस्त किए जाने [illegible]

8 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ व्दारा प्रकरण कमांक 36 / पुनर्विलोकन / 2012--13 में पारित आदेश दिनांक 03--01--2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलतः कलेक्टर टीकमगढ [illegible] 2011--1[illegible] में पारित आदेश दिनांक 15.6.20[illegible] स्थिर [illegible] विकय [illegible] आवेदकगण का किया [illegible] नामान्तरण [illegible] अभिलेख का अमल यथावत रहेगा।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर